(17)

हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण

प्रीत विहार, दिल्ली रोड, हापुड़–245101. ☎ 0122–2308764–65

वेबसाइट: www.hpdaonline.com, ई–मेल: hpda_1@rediffmail.com

HPDA ISO9001:2008

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी (शस्त्र)
कृते जिला मजिस्ट्रेट
हापुड़।

पत्र सं0 604/मानचित्र/एच0पी0डी0ए0/14 दिनांक 22.12.14

विषय:–हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0, वेदव्यासपुरी परतापुर, मेरठ द्वारा ग्राम लाखन, तहसील–धौलाना के खसरा सं0 251 मसूरी–पिलखुवा रोड एन.एच.–24 पर रिटेल आउट लेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने सम्बंधी जॉच आख्या उपलब्ध कराने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपयां उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं0 1693(1)/शस्त्र लिपिक–हापुड़/बीस/ए0सी0/2014 दिनांक 01.07.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करनें का कष्ट करें, जिसमें हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0, वेदव्यासपुरी परतापुर, मेरठ द्वारा ग्राम लाखन, तहसील–धौलाना के खसरा सं0 251 मसूरी–पिलखुवा रोड एन.एच.–24 पर रिटेल आउट लेट पेट्रौल पम्प के स्थापन/भवन निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने सम्बंधी आख्या चाही गयी है। इस सम्बंध में /डीजल/सी0एन0जी0) की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने सम्बंधी जॉच आख्या चाही गयी है, इस सम्बंध में अवगत कराना है कि पत्र के साथ संलग्न नीलपत्र की छांयाप्रति के अनुसार प्रश्नगत स्थल एन.एच.–24 पर स्थित है। हापुड़ महायोजना–2005 के अन्तर्गत प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग हरित पट्टी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। जोनिंग रेग्युलेशन अनुसार हरित पट्टी भू–उपयोग में विशेष अनुमति से रिटेल आउट लेट (पेट्रोल पम्प) स्थापित किया जाना पत्र के साथ संलग्न भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 पृष्ठ सं0–60 अध्याय–8 पर उल्लेखित शर्तो के अनुसार अनुमन्य है एवं आवेदक को रिटेल आउट लेट स्थापित करने से पूर्व प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराना होगा।

(वी0 के0 लाल)
सचिव
हापुड़–पिलखुवा विकास प्राधिकरण
हापुड़।

ATTESTED TRUE COPY
MUKESH KUMAR
Advocate
Notary Public
Ghaziabad
Regd. No. 2973
GOVT. OF INDIA